तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज किशोरसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 25 / 2018	नं0 व जो इ तामील
21.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी किशोरसिंह पुत्र जालमसिंह गांव घोड़ावट पोस्ट खवासपुरा वाया पीपाड़सीटी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2017 में उसके द्वारा (1) मेरी पुत्रवधु श्रीमती जीतूकंवर का निर्वाचन फोटो पहचान पत्र आर आई एफ–0680629 ग्राम घोड़ावट मेंहै उसमें जीतूकंवर के स्थान जितेन्द्र कंवर दर्ज हो गया उस नाम को संसोधन करवाने के लिये मैं बी.एल.ओ. घोड़ावट के कहे अनुसार फार्म नं. 8 की पूर्ती कर दो साल में तीन आवेदन प्रस्तुत कर दिये है परन्तु आज दिनांक तक बी.एल.ओ. का कहना है कि आपके नाम का संसोधन नहीं हुआ है न ही हमारे पास कोई इस संबंध में एतराज व सूचना उपलब्ध है कि क्यों नहीं संसोधन हो रही है। आपकी तरह 8 संसोधन भेज रखे है कृपया आप इस प्रकरण में बी.एल.ओ. घोड़ावट द्वारा भेजे गये प्रारूप 8 पर आपके स्तर से आपने क्या कार्यवाही की है कृपया उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	